मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

- - - - -

ज्ञा प न

क्रमांक 1552 /सी0आर0 446-एक(3) भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर, 69

प्रति,

शासन के समस्त विभाग

विषय :- राज काज में हिन्दी का प्रयोग - शिक्षा एवं भाषा विभागीय स्थायी समिति की सिफारिश पर कार्यवाही ।

संदर्भ :- इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक 18862/2176-1(4) दिनांक 13 अगस्त 1968 एवं ज्ञापन क्रमांक 21071-2616-1(4) दिनांक 17 सितम्बर 1968 ।

इस विभाग के उपर्युक्त ज्ञाप में समस्त विभागों को यह निदेश दिया गया था कि यदि कोई शासकीय सेवक सचिवालय एवं अन्य शासकीय कार्यालयों में समस्त कार्य हिन्दी में नहीं करता और जानबूझ कर इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे । शिक्षा एवं भाषा विभागीय स्थायी समिति यह जानना चाहती है कि शासन की आज्ञानुसार जब सभी कार्य हिन्दी में हो रहे है तो इस आज्ञा के उल्लंघन करने वाले कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है । अतः, आपसे निवेदन है कि उक्त विभागीय स्थायी समिति द्वारा वांछित जानकारी, पूर्ण विवरण के साथ, इस विभाग को यथा शीघ्र भेजने की व्यवस्था करें । यह जानकारी न केवल सचिवालय की बल्कि विभागाध्यक्ष और उसके अधीनस्थ सभी कार्यालयों की इकट्ठी कर भेजी जावे ।

(ह0 राव)
अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

::श्रीवास::
25/9/69